न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनर्विलोकन/2014 टीकमगढ़ रिव्यू-1458-III/14

भानू प्रसाद पुत्र रामचरण ब्राह्मण,
निवासी–बल्देवगढ़, तहसील–बलदेवगढ़,
जिला–टीकमगढ़ ..... आवेदक

बनाम

इकबाल खां पुत्र हसन खां, निवासी–बल्देवगढ़, तहसील–बलदेवगढ़, जिला–टीकमगढ़ ..... अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदनपत्र धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल मा. अशोक शिवहरे प्र.क्र. 2609/II/2013 भानू प्रसाद बनाम इकबाल खां आदेश दिनांक 27-03-2014 को पारित

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक : 1448 / तीन / 2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6.6.14	मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2609 / II / 2013 में पारित आदेश दिनांक 27–3–14 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2609 / II / 2013 तथा तहसीलदार बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक169 / 12–13 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 20–2–13 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार व्दारा अनावेदक की ग्राम बल्देवगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1004 के 40 X 40 वर्गफुट अंश भूभाग पर आवेदक व्दारा टेंक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया, जिस पर अनावेदक ने तहसीलदार के यहॉ वाद दायर करने पर अंतरिम आदेश दिनांक 20.2.13 से निर्माण कार्य बंद करने हेतु स्थगन जारी किया गया एंव वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिये सुनवाई हेतु तिथि नियत की। आवेदक ने तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के यहां अपील कमांक 67 / 12–13 प्रस्तुत की, जिसमें सुनवाई हेतु 7 पेशियॉ लगीं एंव दिनांक 13–6–13 को आवेदक व्दारा अपील प्रकरण न चलाने की मांग पर प्रकरण निरस्त हुआ। 4/ तहसीलदार बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 69 / 12–13 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 20–2–13 के विरूद्व	

पुनरावलोकन क्रमांक 1448/तीन/2014

आवेदक ने इस न्यायालय में निगरानी क्रमांक 2609/II/2013 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 27-3-14 से इस आधार पर निरस्त हुई कि निगरानी प्रकरण ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु 07 माह से चल रहा है और वह प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं, जबकि आवेदक का दायित्व है कि वह उनके हित मे प्रकरण में रूचि लेकर निवटवायें।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में बताया है कि निगरानी क्रमांक 2609/II/2013 जिस पर आधार पर निरस्त की गई है आधार गलत है इसलिये प्रकरण पुर्नस्थापित किया जावे । म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधारों में से एक या एक से अधिक आधार होना आवश्यक है -

(अ) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी या,

(ब) मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

(स) कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

परन्तु आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि उनके व्दारा उक्त में से कोई ऐसा दस्तावेज अथवा तथ्य खोज लिया है जो निगरानी क्रमांक 2609/II/2013 प्रस्तुत करने के दिनांक 5-7-13 तक अथवा ग्राह्ता पर तर्क प्रस्तुत करने के दिनांक 27-3-14 तक वह प्रस्तुत नहीं कर सके।

6/ उपरोक्त कारणों से पुनरावलोकन आवेदन सशक्त आधारों पर आधारित न होने से अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर